राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 36 | अप्रैल - जून 2011 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

बजट चर्चा पर हो–हल्ला हावी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में नौ मार्च को वर्ष 2011–12 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर यह एक संतुलित बजट प्रतीत होता है। इस बजट में ग्रामीण एवं शहरी गरीबों, आदिवासियों, निःशक्तजनों और अल्पसंख्यको के कल्याण के लिए कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून को देखते हुए प्रदेश में शिक्षकों की नई भर्ती की घोषणा भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षक भर्ती का यह पुराना वादा है जिसे पिछले दो साल से पूरा नही किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना आरंभ करना सराहनीय कदम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में राजीव आवास योजना के लिये सर्वे का कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से दो रुपए प्रति किलोग्राम अनाज प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या को भी इस बजट में बढ़ाया है, लेकिन इस दर पर प्राप्त अनाज की मात्रा केवल 25 किलोग्राम प्रति परिवार रखी हुई है जो बहुत कम है।

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मदों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (अस्पताल एवं औषधालय), ग्राम एवं लघु उघोग तथा अनुसुचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण आदि के बजट में कटौती की गई है।

कृषि क्षेत्र पर जहां पहले से ही मॉनसेन्टो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, वहीं सरकार ने अब विश्व बैंक के सहयोग से 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना प्रस्तावित की है। यह योजना कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियों और खुले बाजार के बढ़ते हस्तक्षेप का परिचायक है। इस बजट में डिग्गियों एवं तालाबों जैसे लघु एवं पारंपरिक सिंचाई के साधनों पर जोर दिया गया है जो भविष्य के लिए सराहनीय कदम साबित हो सकता है।

बजट 2011–12 में सरकार ने जनजाति उपयोजना तथा अनुसुचित जाति उपयोजना के लिये निर्धारित लघु शीर्ष (Minor Head) बिजली विभाग सहित कई नए विभागों के लिये खोल दिये है, जो निःसंदेह अच्छी बात है। इससे इन दो उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे आंवटन तथा खर्च की निगरानी में सहायता मिलेगी। इसके साथ–साथ राज्य के सभी विभागों को इन उपयोजनाओं के तहत चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार बजट में तीनों स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले धन का विवरण उपलब्ध कराया गया है जो वित्तीय विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन किस ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को कितना धन प्राप्त होगा, इसकी सूचना बजट में अभी भी उपलब्ध नहीं है।

नौ मार्च को विधानसभा में बजट की प्रस्तुती के बाद यह अपेक्षित था कि सदन में बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हो। पहले के कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च को बजट पारित होना था। तय कार्यक्रम के अनुसार चार अप्रेल तक बजट सत्र चलना था, लेकिन दोनों पक्षों की हठधर्मिता के कारण 23 मार्च को ही बजट सत्र समाप्त कर दिया गया। शुरुआती कुछ दिन तक बजट सत्र में बजट तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई, लेकिन आखिरी दिनों में शोर–शराबे और हो–हल्ले के कारण महत्वपूर्ण नौ विधेयकों समेत विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा नहीं हो पाई तथा बिना बहस ही बजट 2011–12 पारित हो गया।

2011 जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े

देश में पंद्रहवीं जनगणना का कार्य इसी साल पूरा हुआ है। जनगणना के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों से देश के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, शहरीकरण, जन्म एवं मृत्यु दर की स्थिति, धर्म, भाषा और पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आने वाले आदिवासी, दलित, विधवा, विकलांगों के संबंध में जानकारी जुटाई गई है। जनगणना आधारित प्रतिवेदन (सेंसस रिपोर्ट, 2011) के साथ राज्य की जनसंख्या 6,86,21,012 हो गई है, जो कि 2001 में 5.65 करोड़ थी। इस प्रकार 2001–2011 की अवधि में जनसंख्या में 21.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 1991–2001 की अवधि में आबादी 28.41 प्रतिशत से बढ़ी थी। राज्य की जनसंख्या वृद्वि की दर देश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर (17.64 प्रतिशत) से काफी अधिक है।

बच्चियों की लगातार कम होती संख्या

सूचनाओं की राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जनगणना की सूचनाओं के आधार पर ही संसदीय, विधान सभा, पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों एवं नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा देश एवं राज्य की प्रगति की समीक्षा एवं योजनाओं का मुल्यांकन भी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि जनगणना कार्य देश एवं आम जन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। जनगणना के प्रारम्भिक नतीजे अब सामने आ गए हैं। यहां कुछ नतीजों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्थान क्षेत्रफल (3.42 लाख वर्ग किमी.) की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से देश का आठवां बड़ा राज्य है। 2011 के जनगणना

राज्य की 6.86 करोड़ की आबादी में करीब 3.56 करोड़ पुरुष एवं 3.30 करोड़ महिलाएं हैं, जिससे लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 926 महिलाएं हो गया है। वर्ष 2001 की जनगणना में प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 921 थी। हालांकि, देश के कुल लिंगानुपात 940 से यह काफी कम है।

महिला साक्षरता में सबसे पीछे राजस्थान

राज्य में साक्षरता दर बढकर 67.06 प्रतिशत हो गई है, जो कि 2001 में 60.04 प्रतिशत थी। हालांकि, अभी भी राज्य में साक्षरता देश की औसत साक्षरता दर (70.04 प्रतिशत) से काफी कम है। यदि लिंगानुसार साक्षरता दर देखी जाए तो राज्य में पुरुषों में 80.51 प्रतिशत एवं महिलाओं में 52.66 प्रतिशत साक्षरता है। महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान अब भारत में सबसे पिछड़ा राज्य

राज्य पर कुल कर्ज

बार्क द्वारा वर्ष के आरंभ में ही आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पुस्तक "State Finances : A Study of Budgets" में राज्य पर गत वित्त वर्ष के अंत तक के कर्ज भार का आंकलन किया है। रिजर्व बैंक हर साल फरवरी–मार्च में इस पुस्तक का प्रकाशन करता है।

30 मार्च 2011 को जारी "State Finances : A Study of Budgets of 2010-11" में मार्च 2011 के अंत तक राज्य पर कुल बकाया कर्ज 98,881 करोड़ रुपए बताया गया है, जो बार्क के आंकलन के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के अंत (मार्च 2012) में एक लाख सात हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मार्च 2012 तक के कर्ज का उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन के अगले संस्करण में किया जाएगा।

पिछले 2–3 वर्षों से बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा राज्य बजट के आंकड़ों के आधार पर राज्य पर बकाया कुल कर्ज का आंकलन किया जा रहा है जो कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा पुस्तक "State Finances : A Study of Budgets" में जारी परिणामों के लगभग बराबर पाया गया है। विगत वर्ष बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा 2010–11 के अंत में राज्य पर 98,867 करोड़ रुपए का कर्जभार होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा यह आंकड़ा 98,881 करोड़ रुपए प्रकाशित किया गया है। यानि बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा जारी अनुमान 99.98 फीसदी भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से मेल खाते हैं।

इसी क्रम को जारी रखते हुए केन्द्र द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य बजट 2011–12 के आंकड़ों के आधार पर मार्च 2012 के अंत में राज्य पर कुल कर्ज 107,117 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है जिसकी पुष्टि फरवरी–मार्च 2012 में भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा प्रकाशित "State Finances : A Study of Budgets of 2011-12" से की जा सकेगी।

राज्य पर बकाया कुल कर्ज

(राशि करोड़ रुपए)

	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा जारी*
मार्च 2099 के अंत में	84235	84221
मार्च 2010 के अंत में	90420	90406
मार्च 2011 के अंत में	98881	98867
मार्च 2012 के अंत में		107117

*प्रत्येक वर्ष के आरंभ में बजट अनुमानों पर आधारित

बजट 2011–12 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना

जनजाति उपयोजनाः

पिछले पांच–छह वर्षों से राज्य के आयोजना बजट में जनजाति उपयोजना बजट का हिस्सा तकरीबन ढाई से साढ़े चार प्रतिशत के बीच रहा है। जनजाति उपयोजना के प्रावधानों के अनुसार इस मद में राज्य बजट का 12.56 प्रतिशत हिस्सा खर्च होना चाहिए था। बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र और राज्य के कुछ जागरुक विधायकों के प्रयासों के कारण इस बार जनजाति उपयोजना का बजट बढ़कर करीब 7.6 प्रतिशत हो गया है। बार्क की ओर से पिछले कई साल से इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाता रहा है। पिछले तीन दशकों में जनजाति उपयोजना के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता और अनदेखी के कारण राज्य के आदिवासी अरबों रुपए की विकास योजनाओं से वंचित होते रहे हैं।

जनजाति उपयोजना के बजट की स्थिति

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	राज्य का कुल आयोजन व्यय	जनजाति उपयोजना व्यय	बजट राशि जो आवंटित होनी चाहिए थी (राज्य अयोजना का 12 56 प्रतिशत)	बजट राशि से वंचित
2007–08 वास्तविक	1098737	423.76 (3.86)	1380.01	966.25
2008–09 वास्तविक	12190.10	384.54 (3.15)	1531.08	1146.54
2009–10 वास्तविक	12568.73	367.30 (2.92)	1578.63	1211.33
2010–11 संशोधित	16064.65	738.93 (4.60)	2017.72	1278.79
2011–12 प्रस्तावित	192896.21	1467.60 (7.61)	2422.35	964.85

स्रोत : बजट पुस्तिका व वित्त विभाग के आंकड़े

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 में राज्य आयोजना की 3.86 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना मद में खर्च की गई। इसके बाद 2008–09 में यह हिस्सा कम होकर 3.15 प्रतिशत एवं 2009–10 में 2.92 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वर्ष 2010–11 के संशोधित बजट में इसको कुछ बढाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया गया एवं इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में यह राशि बढकर करीब 7.6 प्रतिशत हो चुकी है। जनजाति उपयोजना का 12.56 प्रतिशत हिस्सा नहीं मिलने के कारण इस वर्ष भी राज्य के आदिवासी 955 करोड़ रुपए के बजट से वंचित हो जाएंगे।

इस वर्ष के बजट में पांच अतिरिक्त विभागो बिजली, सिविल आपूर्ति, कमान क्षेत्र विकास, सड़क एवं सेतु तथा सचिवालय सेवाओं ने जनजाति उपयोजना के लिए 796 उप शीर्ष खोलकर बजट आवंटित किया है और यही कारण है कि इस वर्ष इस उपयोजना में

नये विभाग ने खोला उपयोजनाओं का खाता

बजट आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इसके साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कुल 38 विभाग (मुख्य शीर्ष) ऐसे हो गये हैं, जिन्होंने जनजाति उपयोजना के लिए 796 उप शीर्ष खोल दिए हैं, लेकिन अभी भी 17 विभाग / मुख्य शीर्ष ऐसे हैं, जिनमें जनजाति उपयोजना के लिए 796 उपशीर्ष नही खोले गए हैं। इस वर्ष के बजट में सामान्य सेवाओं के कुछ विभागों जैसे न्याय एवं प्रशासन, राजस्व, भूराजस्व व्यय, सचिवालय, सामान्य प्रशासन, पुलिस राजस्व, जेल राजस्व एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग पूंजीगत आदि ने भी जनजाति उपयोजना के लिए बजट आवंटित किया है। हालांकि, इन विभागों ने अभी तक इस बात को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई है कि ये विभाग उपयोजना के अन्तर्गत आदिवासियों को कैसे लाभांवित करेंगें ?

राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का मैस भत्ता एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय किया है। इस बढ़ोतरी से बढ़ती महंगाई के दौर में छात्रों को दिये जाने वाले भोजन एवं अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

हालांकि, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत जनजाति बालकों एवं बालिकाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं के लिए छात्रावास किराए और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने संबंधी क्षेत्रों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है।

अनुसूचित जाति उपयोजनाः

अनुसूचित जाति उपयोजना की रणनीति भी जनजाति उपयोजना के साथ 1979 में अपनाई गई थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या लगभग 96.94 लाख है, जो कुल जनसंख्या का करीब 17 प्रतिशत है। इसलिए राज्य को अपने आयोजना बजट की कम से कम 17 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना मद में आवंटित करनी चाहिए। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो यह मात्र दो से साढ़े चार प्रतिशत के बीच रहा है। इस वर्ष के बजट में यह बढ़कर करीब 8.92 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले वर्ष के बजट के दुगुने से भी अधिक है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए बजट आवंटित करने वाले विभागों में आठ विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने दो प्रतिशत से कम बजट रखा है एवं पांच विभाग ऐसे हैं, जिनके आयोजना बजट में उपयोजना के लिए कोई राशि नही रखी है। करीब 13 विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने आयोजना बजट की पांच प्रतिशत या इससे कम राशि अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए आवंटित की है एवं मात्र 10 विभाग ही ऐसे है, जिन्होंने मापदंड के अनुरुप (17 प्रतिशत या अधिक) बजट आवंटित किया है।

इसके अलावा इस वर्ष बहुत से अतिरिक्त विभागों ने भी अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए उप शीर्ष खोलकर बजट आवंटित किया है। नये विभागों में खेलकूद एवं युवा सेवाऐं, कमान क्षेत्र विकास, बिजली विभाग, सचिवालय–आर्थिक सेवाएं, अन्य समान्य आर्थिक सेवाएं, सिविल आपूर्ति, सडक एवं सेतु तथा पर्यटन विभाग प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य सेवाओं के विभागों जैसे न्याय प्रशासन, भूराजस्व, जेल एवं लोक निर्माण कार्य ने भी इस वर्ष अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए बजट आवंटित किया है।

अनुसूचित जाति उपयोजना के बजट की स्थिति

अनुसूचित जाति

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	राज्य का कुल आयोजन व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना व्यय	बजट राशि जो आवंटित होनी चाहिए थी (राज्य अयोजना का 17.0 प्रतिशत)	बजट राशि से वंचित
2007.08 वास्तविक	10987.37	253.38 (2.31)	1885.43	1632.05
2008–09 वास्तविक	12190.10	342.79 (3.13)	2091.82	1710.02
2009–10 वास्तविक	12568.73	342.19 (2.72)	2156.79	1814.60
2010–11 संशोधित	16064.65	666.84 (4.15)	2756.69	2089.35
2011–12 प्रस्तावित	192896.21	1719.97 (8.92)	3309.51	1589.54

स्रोत : बजट पुस्तिका व वित्त विभाग के आंकड़ें

उपरोक्त तालिका के अनुसार अनुसूचित जाति उपयोजना में वर्ष 2007–08 में राज्य आयोजना की 2.31 प्रतिशत राशि व्यय की गई, जो कि वर्ष 2008–09 में कुछ बढ़कर करीब 3.13 प्रतिशत एवं वर्ष 2009–10 में कम होकर 2.72 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2010–11 के संशोधित बजट में इसको बढ़ाकर 4.15 प्रतिशत एवं इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में करीब दुगुना बढ़ाकर 8.92 प्रतिशत कर दिया गया है, जो अभी भी 17 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। पिछले कई वर्षों से मानदंड से कम बजट आवंटन से प्रदेश का

दोनों उपयोजनाओं में बिजली विभाग द्वारा सबसे अधिक खर्च

दलित वर्ग करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं से वंचित रह गया। इस वर्ष भी मानदंड से कम बजट आवंटन के कारण राज्य का दलित वर्ग करीब 1589 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं से वंचित रह जाएगा।

पिछले वर्ष 2010–11 में आदिवासियों एवं दलितों के लिए बजट में बहुत कम राशि आवंटित एवं व्यय करने के मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। विधानसभा में इस मुद्दे पर चली जबरदस्त बहस के बाद राज्य सरकार ने आश्वस्त किया कि वर्ष 2011–12 के बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिए अलग बजट शीर्ष में बजट आवंटित करके प्रत्येक विभाग में इनकी जनसंख्या के अनुपात में वास्तविक व्यय को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि इस वर्ष सभी विभागों में दलितों एवं आदिवासियों के लिये आवंटित राशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना की रणनीति के अनुसार बजट आवंटित करके वास्तविक व्यय को सुनिश्चित करने की घोषणा की थी, लेकिन केवल 12 विभागों ने ही अपने आयोजना बजट में जनजाति उपयोजना के लिए करीब 12 प्रतिशत या इससे अधिक राशि आवंटित की है, जबकि 10 विभाग ऐसे हैं जिन्होने जनजाति उपयोजना हेतु के लिए दो प्रतिशत से भी कम बजट आवंटित किया है। राज्य के करीब 15 विभाग, ऐसे हैं जिन्होने जनजाति उपयोजना के लिए पांच प्रतिशत से कम बजट आवंटित किया है।

गौरतलब है कि सरकार ने अपने पिछले वर्ष की घोषणा के अनुरुप न तो दलित एवं आदिवासी जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित किया और न ही सभी विभागों में जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजनाओं के तहत उपशीर्ष खोले गए। हालांकि, जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजनाओं के लिए पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बजट आवंटन थोड़ा सा बढ़ा है तथा कुछ नये विभागों ने भी दोनों उपयोजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है। कई महत्वपूर्ण विभागों में जनजाति उपयोजना के लिए आवंटित राशि किन–किन विशेष योजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की जाती है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न विभागों को इन दोनो उपयोजनाओं के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के परिपत्र जारी करने चाहिए।

राज्य बजट 2011–12 : एक विश्लेषण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले माह नौ मार्च को राज्य विधानसभा में प्रदेश का वर्ष 2011–12 का बजट पेश किया। राज्य बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं तो कुछ पुरानी घोषणाओं को नया जामा पहनाकर फिर से पेश किया गया है। बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने विभिन्न मायनों से राज्य बजट का विश्लेषण किया है। राज्य की आय और व्यय के आंकड़ों के आधार पर यह जानने का प्रयास किया है कि आंकड़ों पर आधारित इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था किस राह पर जा रही है। इसके साथ ही बार्क टीम ने इस अध्ययन में राज्य बजट और आम आदमी के बीच की कड़ी को समझने का प्रयास किया है।

सरकार की आय

बजट के विश्लेषण के क्रम में सबसे पहले सरकार की प्राप्तियों (आय) के बारे में पड़ताल की गई है। वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियां करीब 64098 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों (56693 करोड रुपए) की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक हैं।

ग्राफ सं. 1: राज्य की आय के स्त्रोत और उनका हिस्सा : बजट 2011–12

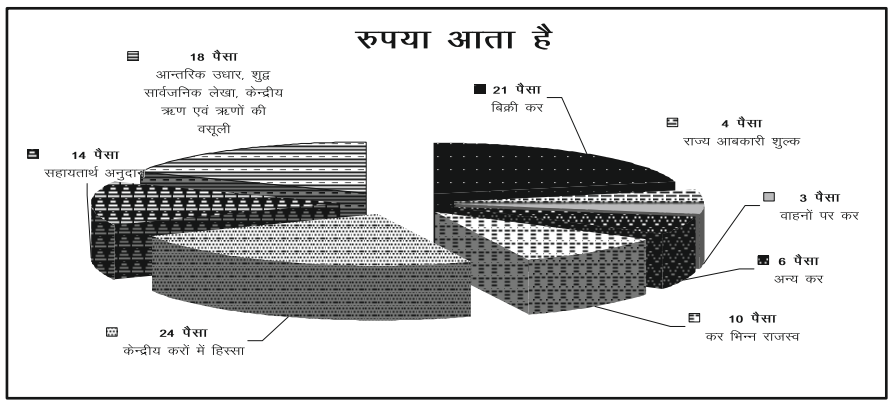

राज्य की कुल प्राप्तियों में से सबसे बड़ा हिस्सा कर राजस्व से प्राप्त होता है। कर राजस्व से कुल प्राप्तियों का करीब 57 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है। कर राजस्व के अंर्तगत बिक्री कर राजस्व का सबसे बड़ा मद होता है, जिससे कुल प्राप्तियों का करीब 21 प्रतिशत हिस्सा आता है। राज्य बजट 2011–12 के अंर्तगत दालों, गेहूं, चावल, आटा, केरोसिन (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरीत किया जाने वाला सामान) रसोईघर में काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं को कर मुक्त किया जाना एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं कि महंगाई के इस दौर में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को करमुक्त किए जाने से इनकी कीमतों में होने वाली कमी से राज्य के आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार के राजस्व के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो या तो बजट 2011–12 में शामिल नहीं किए गए हैं या फिर इन्हें बहुत ज्यादा बोझिल बना दिया गया है। राज्य की जनता को बजट में पेट्रोल, डीजल की वैट दर में कमी किए जाने की आशा थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ शहरी उपभोक्ताओं

सरकार के कुल खर्च का 70% गैर आयोजना मदों पर

द्वारा प्रति माह 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने पर नगरीय उपकर में प्रति यूनिट 50 पैसा बढ़ा दिया गया जिससे राज्य के शहरी वर्ग की जेब पर करीब 50 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। राज्य में डीएलसी दरों में 15 प्रतिशत की वृद्वि किए जाने से जहां एक ओर राज्य सरकार को 175 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी वहीं राज्य के निवासियों के लिए घर बनाने का सपना और अधिक महंगा होता नजर आ रहा है। राज्य के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पान मसाला, तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों पर कर की दर 40 प्रतिशत बढ़ा देने से इन उत्पादों की कीमतों में डेढ़ गुना वृद्वि हो गई है। कर की दर बढ़ाए जाने से तम्बाकू उत्पादों की खपत पर नियंत्रण होने की संभावना है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण राज्य को केन्द्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में भी बढ़ोतरी हुई है।

राज्य को प्राप्त होने वाली एक बड़ी राशि ऋणों से भी प्राप्त होती है जो कि राज्य की कुल प्राप्तियों का करीब 18 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान लोक ऋणों से प्राप्ति में करीब 2065 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने का अनुमान है जो कि करीब 25 प्रतिशत वृद्वि को दर्शाता है। इसी क्रम में राज्य की शुद्वउधार

कृषि तथा संबद्ध सेवाओं पर खर्च में 18% की कमी

में भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस मद में राज्य के लोक ऋण से शुद्व प्राप्ति एवं लोक खाते से शुद्व प्राप्ति का योग होता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य की शुद्व उधार करीब 7156 करोड़ रुपए रही है जो कि वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों के अनुसार बढ़कर करीब 8163 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी शुद्व उधार में करीब 14 प्रतिशत की वृद्वि होने का अनुमान है।

राज्य की शुद्व प्राप्तियों के आकलन के बाद यदि राज्य की कुल देनदारियों पर नजर डाली जाए तो यह पता चला है कि राज्य कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। वर्ष 2010–11 के अंत तक राज्य पर करीब 99 हजार करोड़ रुपए का कर्जा था जो कि राज्य बजट 2011–12 के आंकड़ों के आधार पर करीब 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। राज्य पर लगातार बढ़ते कर्ज के कारण राज्य की ब्याज अदायगियों में भी वृद्वि हो रही है, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लिया जाने वाला नया कर्जा राज्य की ब्याज अदायगियों अथवा पुराने कर्ज को चुकाने पर ही खर्च हो जाता हैं। आमतौर पर यह माना जाता है राज्य द्वारा लिया जाने वाला नया कर्ज राज्य में विकासात्मक कार्यों, स्थाई पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह कर्ज स्थायी पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण में अधिक काम नहीं आ रहा है। ब्याज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज राज्य की अर्थव्यस्था पर बोझ बनता जा रहा है जो राज्य के विकास में बाधक बन रहा है।

सरकारी खर्च

राज्य की आमदनी के बाद अब अगर व्यय के बारे में चर्चा की जाए तो वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य के कुल खर्चे के लिए करीब 63999 करोड़ रुपए रखे गये हैं जो कि वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 12 प्रतिशत अधिक है।

ग्राफ सं. 2 : राज्य सरकार के खर्च और उनका हिस्सा : बजट 2011–12

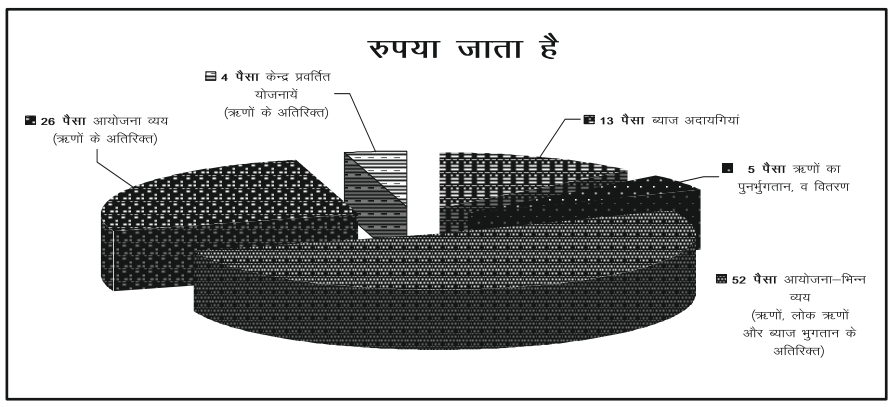

कुल व्यय में से करीब 44713 करोड़ रुपए **आयोजना भिन्न व्यय** पर होगा जोकि कुल व्यय का करीब 70 प्रतिशत है। ग्राफ सं. 2 के अनुसार इसमें से अगर लोक ऋण एवं ब्याज भुगतान पर किए गए व्यय की राशि को हटा दिया जाए तो करीब 52 प्रतिशत हिस्सा आयोजना भिन्न पर व्यय होगा। गौरतलब है कि आयोजना भिन्न व्यय के अंर्तगत मूल रुप से सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक खर्चे जैसे राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, ब्याज अदायगी, पुलिस, पेंशन आदि शामिल होते हैं। जैसा कि पूर्व में भी चर्चा की गई है कि राज्य पर पहले के बकाया कर्ज पर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है राज्य के कुल व्यय का करीब 13 प्रतिशत हिस्सा ब्याज अदायगियों के रुप में चुकाया जाएगा।

आंकड़ों से परे जाकर अगर सेवाओं के आधार पर बजट का विश्लेषण किया जाए तो और भी महत्त्वपूर्ण तथ्य निकल कर आते हैं। चूंकि यहां पर सभी विभागों और सेवाओं पर चर्चा किया जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्त्वपूर्ण सेवाओं के बारे में चर्चा की जा रही है जो कि राज्य बजट की घोषणाओं और बजट के आंकड़ों की हकीकत को बयान करती हैं

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो बजट में घोषणा की गई है कि

शहरों में अस्पताल एवं औषधालय पर खर्च में कमी

दो अक्टूबर 2011 से राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को आवश्यक दवाईयां निःशुल्क वितरित की जाएंगी। अब अगर इसके बजट को देखा जाए तो राज्य में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के अंर्तगत अस्पताल एवं औषधालय पर वर्ष 2011–12 में किए जाने वाले व्यय अनुमानों में गत वर्ष की तुलना में करीब 26 करोड़ 65 लाख करोड़ की कमी की गई है। यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, फिर निःशुल्क दवाईयों का वितरण कैसे होगा ?ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को भी निचले पायदान पर ही रखा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों पर पूंजीगत व्यय (जिससे केन्द्र के भवनों का निर्माण होता है) में वर्ष 2011–12 के लिए 50 लाख रुपए रखे गए हैं जबकि गत वर्ष इस मद में एक करोड़ रु. रखे गये थे। यह भी विरोधाभासी बात है कि पिछले साल 2010–11 में मात्र 20 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए और इस वर्ष 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों के भवन निर्माण के लिए मात्र 50 लाख रु. ही आवंटित किए गए।

शिक्षा का अधिकार

राज्य में शिक्षा के संबंधित विषयों शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति के लिए वर्ष 2011–12 के बजट में करीब 11512 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं जो कि गत वर्ष के

ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में भी कटौती

संशोधित अनुमानों (10510 करोड़ रुपए) की तुलना में करीब 9.53 प्रतिशत अधिक है। राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मानकों को लागू किए जाने के संदर्भ में शिक्षा बजट में बढ़ोतरी किया जाना एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। परन्तु इस महत्त्वपूर्ण मद में मात्र 10 प्रतिशत की वृद्वि अपर्याप्त ही कही जाएगी। राज्य में नई भर्तियों से संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा में 50 हजार शिक्षकों की भर्ती किए जाने की राह में TET की अनिवार्यता होने से यह भर्ती एक कदम पीछे खिसक गई है। इसके लिए प्रयासों में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता होगी ताकि राज्य के विधालयों में शिक्षकों की कमी पूरी होने के साथ बेरोजगार युवकों को समय पर नौकरी मिल सके। इसके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र में अनेक रिक्त पदों पर भर्तियां करने की घोषणा नये बजट में की गई है। इस संदर्भ में अब देखना यह है कि राज्य बजट में की गई इन घोषणाओं पर वास्तविक रुप से अमल किया जाएगा या फिर इन्हें नया जामा पहनाकर गत वर्ष की तरह फिर से अगले बजट (2012–13) की घोषणाओं में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

शेष पृष्ठ 4 पर

चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन

राजस्थान सरकार ने चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है। श्री बी.डी. कल्ला को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तथा विधायक श्री राजपाल सिंह शेखावत एवं पूर्व आई एस अधिकारी जे.पी. चन्देरिया इस आयोग के सदस्य हैं। वित्त सचित (बजट) पी.एल. आग्रवाल चौथे वित्त आयोग के सदस्य सचिव बनाये गये हैं। यह आयोग अगले पांच वर्षों में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों को वित्त उपलब्ध कराने हेतु अपनी सिफारिशें देगा।

पृष्ठ 1 का शेष

2011 के जनगणना के आंकड़े

है। 2001 की जनगणना में बिहार 33 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ सबसे पीछे था, जो अब 53.33 प्रतिशत के साथ राजस्थान से थोड़ा आगे है।

राज्य में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी करीब 1.05 करोड तथा 7 वर्ष की आयु से अधिक आयु वर्ग की आबादी लगभग 5.81 करोड़ है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात 2001 की जनगणना में 909 (प्रति 1000 पुरूष) था, जो 2011 की जनगणना में कम होकर मात्र 883 रह गया है। 10 वर्षों में लड़कों की अपेक्षा लड़कीयों की संख्या में आई यह गिरावट अत्यन्त चिंताजनक है। यह हमारे समाज में लड़कीयों के साथ हो रहे भेदभाव तथा जन्म से पूर्व मां के गर्भ में ही बच्चीयों को मार डालने की प्रवृति को दर्शाता है। देश भर में भी 0 से 6 वर्ष की आयु की आबादी के लिंगानुपात भी कमी हुई है, तथा 2011 में यह मात्र 914 रह गया है, जो 2001 में 927 था।

2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर का घटना, लिंगानुपात का बढना एवं साक्षरता दर में वृद्धि आदि अच्छे संकेत हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत 0 से 6 वर्ष की कुल आबादी के लिंगानुपात में कमी, देश में महिला साक्षरता के मामले में राज्य का सबसे पिछड़ा होना आदि ऐसे तथ्य हैं जो राज्य तथा देश के लिये चिंताजनक हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने यदि इसके लिए अभी से प्रयास नहीं किए तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति काफी चिंताजनक हो जाएगी।

बार्क की गतिविधियाँ

माननीय विधायकों के साथ कार्यशाला का आयोजन

21 फरवरी 2011 को पंत कृषि भवन में माननीय विधायकों के साथ राज्य बजट पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में माननीय मांगी लाल गरासिया, राव राजेन्द्र सिंह, राजकुमार रिणवा देवी सिंह भाटी, राजपाल सिंह सहित 13 विधायकों ने भाग लिया। बैठक में विविध वर्षों के दौरान राज्य बजट के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से चर्चा हुई।

विधायकों को बजट की जानकारी

9 मार्च 2011 को मुख्यमंत्री द्वारा राज्य का बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त माननीय विधायकों को बार्क कार्यालय द्वारा नियमित रूप से हर विभाग के विश्लेषित बजट की जानकारी बजट सत्र के दौरान उपलब्ध कराई गई। जिसका उपयोग विधायकों ने सत्र के दौरान विभागों के बजट पर होने वाली चर्चाओं में किया।

बार्क द्वारा अध्ययन

बार्क द्वारा जनवरी से मार्च के मध्य तीन अध्ययन किऐ गये। पहला अध्ययन कृषि विभाग द्वारा कृषि की बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के साथ हुए अनुबन्ध पर अध्ययन किया। यह अध्ययन आदिवासी क्षेत्र में किया गया। यहां पर सरकार पिछले दो वर्षों से गोल्डन रेज़ नामक योजना चला रही है। इसके तहत सरकार मोन्सेन्टों से बीज खरीद कर ययहा के किसानों को मुफ्त में बांट रही हैं जिससे यहा के किसानों का स्थानिय बीज नष्ट हो रहा हैं। इसके प्रभाव के आकड़े एकत्र किए गऐ। दूसरा अध्ययन आदिवासी क्षेत्र में संचालित छात्रावासों एवं स्कूलों की स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया। तीसरा अध्ययन पंचायती राज में बजट की पारदर्शिता का अध्ययन किया गया।

इन तीनों अध्ययनों के आंकड़े एकत्र कर लिए गये है तथा विश्लेषण का कार्य चल रहा है।

पृष्ठ 3 का शेष

राज्य बजट 2011-12

कृषि एवं संबद्ध सेवाओं

राज्य में कृषि एवं इससे संबद्ध सेवाओं पर प्रदेश की करीब 65 से 70 प्रतिशत जनता की आजीविका निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2011–12 में कृषि क्षेत्र को नजर अंदाज कर इसके बजट में कमी किए जाना समझ से परे है। वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबंधित सेवाओं के लिए करीब 3119 करोड़ रुपए बजट रखा गया जिसमें वर्ष 2011–12 के बजट में करीब 572 करोड़ रुपए (गत वर्ष की तुलना में 18.33 प्रतिशत) की कमी करते हुए 2548 करोड़ 58 लाख रुपए रखे गए हैं। एक तरफ जहां राज्य अर्थव्यस्था में कृषि उत्पादन में गिरावट के साथ–साथ सकल राज्य घरेलू उत्पादन में दिनों दिन इसका हिस्सा घटता जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी हरित क्रांति लाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं पर कृषि बजट में 18 प्रतिशत कमी किए जाना राज्य में कृषि विकास के लिहाज से किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है।

ग्राम एवं लघु उद्योग

राज्य में ग्राम एवं लघु उद्योगों के विकास पर भी बजट में नकारात्मक नजरिया ही दिखता है। वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों में जहां ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए कुल बजट 40 करोड़ 32 रुपए रखा गया वहीं 2011–12 में इसमें 4 करोड़ 23 लाख रुपए की कमी करते हुए 36 करोड़ 9 लाख रुपए अनुमानित किए गए हैं। यद्यपि ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए बजट में वर्ष 2010–11 की तुलना में 28 करोड़ 14 लाख रुपए की वृद्वि कर 348 करोड़ 60 लाख रुपए अनुमानित किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण रोजगार के बजट में 6 करोड़ रुपए की कमी की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बजट राशि में भी वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 41 करोड रुपए की कमी की गई है।

राज्य बजट के विभिन्न आयामों की गहराई से पड़ताल करने के बाद इस बजट को मिलाजुला बजट कहा जा सकता है, जिसमें एक तरफ दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक आवश्यक वस्तुओं पर कर भार हटाकर आम आदमी को राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है तो दूसरी तरफ अनेक महत्त्वपूर्ण विभागों के बजट प्रावधानों में कमी की गई है, जिससे आम आदमी की इन सेवाओं तक पहुंच और सीमित होने का खतरा बढ़ गया है।

आपका पत्र

सहदेव मीणा
गांव : पापड़, ढाणी : सिंघलो की
पोस्ट : पापड़ , वाया : कानोता, जिला : जयपुर
पिन : 303012 मो. : 09928266425

बार्क द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला बजट समाचार हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें हर बार नई नई बाते सीखने को मिलती है। इसमें हर बार कई बातें ऐसी होती है जो हमारी जानकारी में नही होती, और जो बातें हमारी जानकारी में नही होती उनका ज्ञान हमें बजट समाचार से मिलता है। बजट समाचार अंक 33 अप्रैल–जून 2010 में प्रकाशित लेख ''शराब की बढ़ती बिक्री और बढ़ता महिला अत्याचार'' अच्छा लगा। क्योंकि शराब से ही महिला अत्याचारों को बढ़ावा मिलता है। शराब की कमी से महिला अत्याचारों में भी कमी होगी। इसके लिए हम सभी को एक जुट होकर प्रयास करने होगें।

हमारी शुभकामनाएं है कि बजट समाचार ऐसे ही दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसी जानकारियां देता रहे।

शुभकामनाओं के साथ ।

आपका पन्ना.....

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। बजट समाचार में प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार को आप किस रुप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरुरत है, इन तमाम पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। बजट समाचार पर आपकी प्रतिक्रिया, सुझावों तथा टिप्पणियों का स्वागत है।

— बार्क टीम

संपादक – **नेसार अहमद व नगेन्द्र सिंह**
संपादक मण्डल – **मुकेश कुमार बंसल**
महेन्द्र सिंह राव
सहयोग – **सीताराम मीणा**
सलाहकार – **डॉ. जिनी श्रीवास्तव**

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... पिन कोड.....